भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *22

जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 05 फरवरी, 2024, माघ16, 1945 (शक) को दिया जाना है

राज्यों की वित्तीय स्थिरता

***22: श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार हाल ही में माल और सेवा कर (जीएसटी) राजस्व की वृद्धि में मंदी के दृष्टिगत आन्ध्र प्रदेश जैसे राज्यों, जो माल और सेवा कर राजस्व पर बहुत अधिक निर्भर हैं, की वित्तीय स्थिरता को सहायता प्रदान करने के लिए किन्हीं अतिरिक्त उपायों पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) विशेषकर जून, 2026 में क्षतिपूर्ति योजना के चरणबद्ध रुप से समाप्त होने के दृष्टिगत राज्यों को माल और सेवा कर की क्षतिपूर्ति का भुगतान समय पर जारी करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
(घ) क्या केंद्र सरकार औसत से कम आर्थिक विकास दर वाले राज्यों की चिंताओं का बेहतर समाधान करने के लिए माल और सेवा कर क्षतिपूर्ति फार्मूले पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ङ) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

लोक सभा के दिनांक 05 फरवरी, 2024, माघ 16, 1945 (शक) के तारांकित प्रश्न संख्या 22 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): - माल और सेवा कर (जीएसटी) राजस्व लगातार बढ़ रहा है और इसमें काफी वृद्धि देखी गई है।मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों में, माल और सेवा कर (जीएसटी) संग्रहण वर्ष-दर-वर्ष 11.6% की दर से बढ़ा है। इस साल का औसत मासिक संग्रहण 1.67 लाख करोड़ रुपये रहा है। जनवरी 2024 में 1.74 लाख करोड़ रुपये का माल और सेवा कर (जीएसटी) संग्रहण अब तक का दूसरा सबसे अधिकतम मासिक संग्रहण है।

राज्यों के राजस्व में माल और सेवा कर (जीएसटी) राजस्व, अन्य केंद्रीय करों में हिस्सेदारी और गैर-कर राजस्व के अलावा वैट, उत्पाद शुल्क, स्टांप शुल्क आदि से प्राप्त होने वाला राज्य का अपना कर राजस्व शामिल है।

माल और सेवा कर (जीएसटी) परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, माल और सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने के पश्चात राज्यों को पांच साल की संपूर्ण संक्रमण अवधि अर्थात 1 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2022 तक के लिए अपने कर राजस्व की सुरक्षा हेतु क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 9.14 लाख करोड़ रुपये (एक के बाद एक ऋण के रूप में 2.69 लाख करोड़ रुपये सहित) प्रदान किया गया है।

माल और सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने के पश्चात राज्य के कर राजस्वों की संरक्षण हेतु पांच वर्षों (जुलाई 2017 से जून 2022) तक के लिए आंध्र प्रदेश राज्य को कुल 19,021 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति प्रदान की गई थी।

केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत उपलब्ध कराई गई निधियों के साथ-साथ, केंद्र सरकार ने समय-समय पर आंध्र प्रदेश राज्य को ब्याज मुक्त पचास वर्ष के ऋण के अलावा अन्य अनुदान सहायता भी प्रदान की है।

(ग):- जैसा कि लागू कानून के तहत प्रावधान किया गया है, किसी राज्य को देय माल और सेवा कर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति की अनंतिम गणना की जाएगी और प्रत्येक दो महीने की अवधि के अंत में इसे जारी किया जाएगाऔर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा यथा लेखापरीक्षित अंतिम राजस्व आंकड़ों की प्राप्ति के बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इसकी गणना की जाएगी। भारत सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पांच वर्ष की संपूर्ण संक्रमण अवधि अर्थात 1 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2022 तक के लिए अनंतिम रूप से स्वीकार्य माल और सेवा कर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति की पूरी राशि पहले ही जारी कर दी है। लेखापरीक्षित आंकड़ों के साथ अनंतिम आंकड़ों के मिलान से प्राप्त अंतिम क्षतिपूर्ति, महालेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर जारी की जाती है। महालेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को भुगतान करने के लिए अंतिम क्षतिपूर्ति के अलावा अब कोई अन्य राशि जारी करने हेतु लंबित नहीं है।

(घ) और (ङ): - राज्यों को माल और सेवा कर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति का भुगतान संविधान (एक सौ एक संशोधन) अधिनियम, 2016 के आदेश के अनुसार और माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम,2017 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित विधि के अनुसार किया जाता है। इसके अलावा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 279क के अनुसार, माल और सेवा कर (जीएसटी) परिषद- एक संवैधानिक निकाय, माल और सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित मामलों पर संघ और राज्यों को संस्तुतियां प्रस्तुत करती है। भारत सरकार माल और सेवा कर (जीएसटी) परिषद,जिसके सभी राज्य भी सदस्य हैं, की सिफारिशों के आधार पर निर्णय लेती है।

****